

#### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित

### PUBLISHED BY AUTHORITY

**सं. 1329**] No. 1329] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 2, 2019/चैत्र 12, 1941

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 2, 2019/CHAITRA 12, 1941

## गृह मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2019

का.आ. 1501(अ).—केन्द्रीय सरकार, आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) की धारा 43 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 14 सितम्बर, 2018 में प्रकाशित भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 6203(अ), तारीख 14 दिसम्बर, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची के क्र. सं. (ii) के स्तम्भ (2) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् : —

"आयुध नियम, 2016 के नियम 2 के उप-नियम (1) के खंड (51) के अधीन यथा परिभाषित 12.7 मिमी. तक के व्यास के लघु आयुधों से भिन्न आयुध और गोला-बारूद तथा रक्षा उपस्कर की सहबद्ध मदें और ऐसे आयुधों के लिए गोला-बारूद ।"।

[फा. सं. v-11026/184/2018-आयुध]

एस.सी.एल. दास, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. 6203(3) तारीख 14 दिसम्बर, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

1992 GI/2019 (1)

# MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd April, 2019

**S.O. 1501(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 43 of the Arms Act, 1959 (54 of 1959), the Central Government hereby makes the following amendments in the Government of India Ministry of Home Affairs notification No. S.O. 6203 (E) dated 14th December, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (ii), dated the 14th December, 2018 namely:—

In the said notification, in the SCHEDULE, in serial no. (ii), in Column (2) for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:—

"Arms and ammunition and allied items of defence equipment; other than small arms of caliber upto 12.7 mm as defined under clause (51) of Sub-rule (1) of rule 2 of the Arms Rules, 2016 and ammunition for such arms.".

[F. No.V-11026/184/2018-Arms]

S.C.L. DAS, Jt. Secy.

**Note:** Principal Notification was published in the gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* S.O. 6203 (E) dated the 14th December, 2018.